...एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः– रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 73 / 2022

प्रार्थीया **बनाम** **अप्रार्थी**

सरूप कंवर पुत्री श्री बनेसिंह
जाति राजपूत, निवासी बासनी भाटियान
तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

तहसीलदार, तिंवरी

प्रार्थीया की ओर से :– अधिवक्ता श्री चुनाराम गर्ग उपस्थित।

अप्रार्थी की ओर से :– सरकारी पैरोकार।

–::निर्णय::–

दिनांकः–12/3/22

प्रार्थीया द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः– प्रार्थीया व अन्य की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 4 रकबा 9.1944 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 47 रकबा 4.7915 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 13.9859 हैक्टेयर ग्राम बासनी भाटियान, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम भंवरकंवर पुत्री बनेसिंह दर्ज है, जो गलत है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश प्रार्थीया का नाम भंवरकंवर पुत्री बनेसिंह दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीया का सही नाम सरूपकंवर पुत्री बनेसिंह है। प्रार्थीया के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड में भी नाम सरूपकंवर दर्ज है। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थीया को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। जिस वजह से प्रार्थीया अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत् तमाम कार्य रूके हुए पड़े हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया व अन्य की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 4 रकबा 9.1944 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 47 रकबा 4.7915 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 13.9859 हैक्टेयर ग्राम बासनी भाटियान, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर में प्रार्थीया का नाम भंवरकंवर पुत्री बनेसिंह दर्ज कर रखा है जो गलत है उसके स्थान पर

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का वास्तविक नाम सरूपकंवर पुत्री बनेसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हो रखा है जिसे स्कूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड इत्यादि के आधार पर शुद्ध किया जाना उचित है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 4 रकबा 9.1944 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 47 रकबा 4.7915 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 13.9859 हैक्टेयर ग्राम बासनी भाटियान, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का दर्ज नाम भंवरकंवर पुत्री बनेसिंह के स्थान पर सही नाम सरूपकंवर पुत्री बनेसिंह दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां
सहायक कलेक्टर, ओसियां

आज दिनांक 12/3/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, ओसियां
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां